

# समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एम पी ई डी ए भवन, पनपिल्ली एवन्यू

डाक पेटी सं. 4272, कोच्चि-682036, भारत

## The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)  
MPEDA House, Panampilly Avenue  
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन  
Phone } : 2311979, 2311901  
2311854, 2311803  
2313415, 2314468  
2315065

फैक्स  
Fax } : 91-484-2313361

E-mail : ho@mpeda.gov.in  
Website : www.mpeda.com

### प्रेस विज्ञप्ति

## एमपीईडीए और एनसीडीसी ने निर्यात-उन्मुख समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यक्रमों में तालमेल कायम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

कोच्चि, 23 फरवरी: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने हितधारकों को बेहतर कीमत प्रदान करने तथा निर्यातोन्मुख कैप्चर और मत्स्य पालन और संबद्ध क्षेत्रों के हित में अपने विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल कायम करने के लिए कल शाम एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।

समझौता ज्ञापन पर एमपीईडीए के अध्यक्ष श्री के.एस. श्रीनिवास और एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार नायक ने हस्ताक्षर किया।

श्री श्रीनिवास ने कहा, "हमने सरकार की नीतियों के अनुरूप निर्यात पर फोकस सहित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से हितधारकों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन के हित में संयुक्त रूप से काम करने की पर्याप्त गुंजाइश की पहचान की है।"

एमओयू के तहत, एमपीईडीए और इसकी सोसायटी (एनईटीएफआईएस, एनएसीएसए और आरजीसीए) और एनसीडीसी समुद्री उत्पादों के निर्यात क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादन और हार्वैस्टिंग उपरांत प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सहकारी समितियों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए संयुक्त कार्यक्रम तैयार करेंगे।

एमपीईडीए और उसकी सोसायटी एनसीडीसी के साथ विभिन्न राज्यों में सभी समूहों की एक सूची साझा करेंगे, जो निर्यात अभिविन्यास के साथ पैमाना प्राप्त करने और एकत्रीकरण के लिए समूहों से संपर्क कर सकते हैं। यह एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त या पहचान की गई सहकारी समितियों द्वारा निर्यात की सुविधा भी प्रदान करेगा।

दोनों पक्ष संयुक्त रूप से विभिन्न हितधारक की क्षमता के विकास के लिए काम करेंगे, आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे और हितधारकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

समझौता ज्ञापन में यह भी परिकल्पना की गई है कि एमपीईडीए और इसकी सोसाइटीज और एनसीडीसी विभिन्न प्रकार के माध्यमों से भारतीय और वैश्विक बाजार, उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, हितधारकों के ज्ञान और सेवाओं के प्रदर्शन के लिए निकटता से काम करें जिसकी पहचान समय-समय पर की जा सकती है।

इसके अलावा, वे सरकार द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्यों और किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

इन क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए सहयोग और खर्च एनसीडीसी और एमपीईडीए और इसकी सोसाइटियों द्वारा अपनी वित्तीय सहायता योजनाओं के संबंधित सक्षम प्रावधानों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

दोनों पार्टियों ने एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की स्थापना पर भी सहमति व्यक्त की जिसमें एमपीईडीए और एनसीडीसी के प्रतिनिधि होंगे। इस समिति की अधिकार सीमा की शर्तें पार्टियों की योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुसार इस समझौता ज्ञापन के तहत कार्यकलापों की योजना, निगरानी और देखरेख करना होगा। जेसीसी एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा और समय-समय पर निगरानी और प्रगति की समीक्षा करेगा।

# समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एम पी ई डी ए भवन, पनपिल्ली एवन्यू

डाक पेटी सं. 4272, कोच्चि-682036, भारत

## The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)  
MPEDA House, Panampilly Avenue  
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } 2311979, 2311901  
Phone } 2311854, 2311803  
2313415, 2314468  
2315065

फैक्स } 91-484-2313361  
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in  
Website : www.mpeda.com

एमपीईडीए और एनसीडीसीए जेसीसी के फैसलों और इस एमओयू के उद्देश्यों के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करेगा।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, एमपीईडीएए वित्तीय सहायता प्रदान करना, संस्थाओं का पंजीकरण, मानक और विशिष्टताओं का निर्धारण, समुद्री उत्पादों के निरीक्षण का कार्य, निर्यात को विनियमित करना, भारत के बाहर समुद्री उत्पादों के विपणन में सुधार और निर्यात आंकड़ों का संग्रह जैसे विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से समुद्री उत्पादों के निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है।

एनसीडीसी सहकारी सिद्धांतों पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं और पशुधन के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना और प्रचार के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक विकास वित्त संस्थान है।